तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
23.02.2023	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता संघ बालोतरा द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार रखा गया है। पीठासीन अधिकारी दिगर प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी गवाहान जिरह दिनांक 06.04.2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
06.4.23	पक्षकाराम के अधिवक्ता उप./अनु/पीठासीन अधिकारी दिगर प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त हैं पत्रावली वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य गवाहान दिनांक 26.4.2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
26.04.2023	पक्षकारान अधिवक्ता उप./अनु./ पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 में व्यस्त हैं। पत्रावली वास्ते साक्ष्य गवाहान दिनांक 23.05.2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
23.5.2023	दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित। वकील वादी की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते- वाद बतौर राजीनामा निर्णीत करने बाबत पेश की गई। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी ने गांव के मौजीज लोगो की समझाईश से व लोक अदालत की भावना से प्रतिवादी संख्या 05 केवाराम ने खसरा नम्बर 1648/841 में से 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 1649/[illegible] 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 1651/[illegible] रकबा 15-17 बीघा भूमि वादी (Q२२४ व प्रतिवादी संख्या 04 गणेशराम के हक (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek
Date: 2023.05.31 21:28:4
Reason: SelfAttested

1,0/ 2010

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

में रकबा 15.17 बीघा की रजिस्ट्री करवा दी है। व प्रतिवादी संख्या 02 सांवलराम के, संग्रलराम की पत्नि रम्भादेवी के हक में खसरा नम्बर 1652/342 रकबा 15-16 बीघा भूमि का बेचान पंजीयन के हक में रजिस्ट्री करवा दी है व अब कोई विवाद शेष नहीं रहा है। इस कारण वादी अपना वाद आगे चलाना नहीं चाहते हैं जो प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद खारिज करवाया जावें। वकील प्रतिवादी ने No-objection किया है। उन्हें वाद खारिज करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्तों को सुना और पत्रावली व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का गम्भीरता-पूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे पाया कि पक्षकारान् के मध्य विवादित भूमि को लेकर आपसी समझाईश व लोक भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है। अब पक्षकारान् के मध्य कोई विवाद नहीं है और पक्षकारान् भी अब वाद को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। ऐसी सूरत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.05.31 21:28:40 IST
Reason: SelfAttested